रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253315 CG-DL-E-22032024-253315

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2141

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 214]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली. 20 मार्च. 2024

सा.का.नि. 228(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिये प्रारुप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एंव किसान कल्याण विभाग), की अधिसूचना संख्यांक सा. क. नि. 173(अ), दिनांक 9 मार्च 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमे उक्त अधिसुचना प्रकाशित की गयी थी. 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले. आक्षेप या सुझावों को आमंत्रित करने के लिये जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी:

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 9 जनवरी 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारुप नियमों के सम्बंध में जनसाधारण से आक्षेप या सुझाव केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब केंद्र सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;-

2191 GI/2024 (1)

- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ इन नियमों का कीटनाशी (तृतीय संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कीटनाशी नियम, 1971, नियम 10, के, उप-नियम(1क) में, प्रथम परंतुक में, "31 दिसंबर, 2023" अंक, अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 जुन, 2024" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे I

[फा. सं. 13035/28/2014-पी.पी-I (खंड –viii)]

फैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 37(अ) दिनांक12 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

G.S.R. 228(E).—Whereas the draft rules further amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R.34 (E), dated the 9th January, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 9th January, 2024;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft Rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

- 1. (1) These Rules may be called the Insecticides (Third Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, in Sub-rule (1A), in the first proviso, for the figures, letters and word "31st December, 2023" the figures, letters and word "30th June, 2024" shall be substituted.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol. viii)]

FAIZ AHMAD KIDWAI, Addl. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended *vide* G.S.R. 37(E) dated 12th January, 2024.